



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की नवीं* बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 को मध्याह्न

12.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 07 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 02.02.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
(पृ.क्र. 08 से 13 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
04. वित्तीय सत्र 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : आय-व्यय पत्रक बाद में प्रेषित की जायेगी।
05. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
(पृ.क्र. 14 से 18 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
06. परीक्षा सत्र 2014-15 के लिए अनुचित साधन निराकरण समिति के गठन पर विचार करना।
(पृ.क्र. 19 से 20 तक)
टीप : वर्ष 2015 की वार्षिक/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा के लिये अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा (21) की उपधारा (06)(ए) के तहत अनुचित साधन निराकरण समिति का गठन किया जाना है। अध्यादेश के अनुसार समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे -
 - (1) एक सदस्य - कार्यपरिषद के सदस्यों से
 - (2) एक सदस्य - विभिन्न संकाय के संकायाध्यक्षों से
 - (3) एक सदस्य - विद्यापरिषद से
 - (4) एक सदस्य - छात्र सदस्य
 - (5) कुलसचिव (सचिव)वर्ष 2014 की वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के समस्त परीक्षाओं के लिए अनुचित साधन प्रकरण निराकरण समिति का आदेश क्र. 814/अनु.साधन/गोप./2014 दिनांक 05.06.2014 की छायाप्रति संलग्न। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

07. पर्यावरण विज्ञान अध्ययनशाला के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपकरण मद में स्वीकृत राशि 25 लाख में से Ion chromatography उपकरण 15,50,000/- के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 21)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. भौतिकी अध्ययनशाला द्वारा Spectroflourimeter उपकरण Rs. 9,33,974/- (US \$ 15,000) के क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 22)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. विश्वविद्यालयों के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से ली जाने वाली सम्बद्धता शुल्क की राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-3-74/2014/38-2 दिनांक 09.01.2015 पर विचार करना। (पृ.क्र. 23)

टीप : पत्र की छायाप्रति संलग्न।

10. दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप : दिनांक 06.02.2015 से 16.02.2015 तक कुल 13 छात्रों (अधिसूचना क्र. 2491 से 2509 तक) को कुलपति के आदेशानुसार निम्नलिखित विषयान्तर्गत शोधार्थियों को पी-एच.डी. प्रदान की जा चुकी है :-

हिन्दी	-	02	अंग्रेजी	-	01
वाणिज्य	-	03	गृह विज्ञान	-	01
अर्थशास्त्र	-	01	प्रा.भा. इतिहास	-	01
बायोकेमेस्ट्री-		01	रसायन	-	03

कुल 13 शोध उपाधि कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 3068 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 14/03/2015

प्रतिलिपि :-

- माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
- जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 2765/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 12/02/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आठवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 02.02.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	--	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	--	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	--	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	--	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	--	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	--	सदस्य
7. डॉ. मिताश्री मित्रा	--	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	--	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	--	सदस्य
10. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	--	सदस्य
11. श्री एस.के. चक्रवर्ती	--	सदस्य
12. श्री ललित सुरजन	--	सदस्य
13. श्री श्रीचंद सुंदरानी	--	सदस्य
14. श्री नवीन मार्कण्डेय	--	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	--	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 12.12.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.1.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विषय क्रमांक 6 एलाइंस महाविद्यालय के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट होना चाहिए कि जमीन पर महाविद्यालय के भवन बनाने के संबंध में क्या योजना है, तथा कब तक तैयार होगा एवं कब शिफ्ट करेंगे, विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाय।
उच्च शिक्षा विभाग को भी संबंधित महाविद्यालयों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में जानकारी दी जावे।

04. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथागार समिति के अधिसूचना क्रमांक 389/कुलसचिव कार्या./ ग्रंथा /2015 दिनांक 19.01.2015 की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथागार समिति में कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा नामित सदस्यों के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 389/कु.स./ग्रंथा./2015 दिनांक 19.01.2015 की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
05. कु. सुषमा जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर अध्ययनशाला के धारणाधिकार दिनांक 02.02.2015 से समाप्त करने के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : कु. सुषमा जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर अध्ययनशाला के धारणाधिकार दिनांक 02.02.2015 को समाप्त होने के फलस्वरूप आगामी वृद्धि नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।
06. वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों/अधिकारी के स्थायीकरण एवं कु. माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष की परीक्षा अवधि में वृद्धि किए जाने के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों/अधिकारी के स्थायीकरण संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए तिथि से स्थायीकरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई :

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण तिथि
1	डॉ. राजीव चौधरी, प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा	21.11.2012	21.11.2014
2	डॉ. के.आर. हरि, प्रोफेसर, भूविज्ञान	07.12.2012	07.12.2014
3	डॉ. अशोक कुमार प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, मानवविज्ञान	08.11.2012	08.11.2014
4	डॉ. केशवकांत साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, जैवतकनीकी	08.11.2012	08.11.2014
5	डॉ. श्रीमती आरती परगनिहा, एसोसिएट प्रोफेसर, जैविकी	08.11.2012	08.11.2014
6	डॉ. श्रीमती उमा गोले, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल	08.11.2012	08.11.2014
7	डॉ. श्रीमती अर्चना सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र	08.11.2012	08.11.2014
8	डॉ. सुनील कुमार कुमेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र	08.11.2012	08.11.2014
9	डॉ. नागेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैवतकनीकी	08.11.2012	08.11.2014
10	श्री राजेन्द्र कुमार जांगड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी	08.11.2012	08.11.2014
11	डॉ. हरीश कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान	08.11.2012	08.11.2014
12	श्री डिश्वर नाथ खुटे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास	09.11.2012	09.11.2014
13	डॉ. नितेश कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास	09.11.2012	09.11.2014
14	डॉ. श्रीमती प्रिया राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि	09.11.2012	09.11.2014
15	डॉ. बंशो नुरुटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास	16.11.2012	16.11.2014

16	श्री वेणुधर रौतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि	19.11.2012	19.11.2014
17	श्री अदीप कुजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी	20.11.2012	20.11.2014
18	श्री राकेश तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी	03.12.2012	03.12.2014
19	श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, सहायक ग्रंथपाल	21.11.2012	21.11.2014

कृ. माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंधन संस्थान के सत्र 2012-13 एवं 2013-14 के प्राप्त स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर परिनियम-31 की कंडिका-5(1) के तहत परिवीक्षा अवधि दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

07. शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के माह जुलाई 2014 से सितंबर 2014 (तीन माह) तक के महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि की भुगतान के स्वीकृति संबंध में विचार करना।

निर्णय : शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के माह जुलाई 2014 से सितंबर, 2014 (तीन माह) तक के महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि शासन के आदेश क्रमांक 488/एफ-2013-04-00416/वि./नि./चार, नया रायपुर दिनांक 16.12.2014 के अनुसार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

08. परीक्षा कार्य से वंचित किए गए प्राध्यापकों के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : परीक्षा कार्य से वंचित किए गए निम्नलिखित प्राध्यापकों को उनके प्राचार्यों के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने की स्थिति में परीक्षा कार्य पुनः प्रदान करने की अनुमति दी जावे :

1. डॉ. जे.एल.पटले, 2. डॉ. ए.के. सोनपुरी, 3. डॉ. राजेश चौरसिया, 4. श्रीमती सीमा साहू,
5. डॉ. सपन कुमार शाह, 6. डॉ. राजेन्द्र शर्मा, 7. डॉ. श्रीकांत प्रधान, 8. श्री एस.सी. खग,
9. डॉ. संतोष कुमार शर्मा, 10. श्री मनोहर बोकड़े, 11. श्री संजय कुमार जगताप,
12. डॉ. किरण अग्रवाल, 13. डॉ. सुधीर जैन, 14. डॉ. आई.पी. दिनकर, 15. डॉ. सरोजनी भारसाकले, 16. डॉ. अखिलेश चन्द्र वर्मा.

09. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

10. विश्वविद्यालय के 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

11. स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, पचेड़ा रोड, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, पचेड़ा रोड, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. बीजी बहादुर के नाम का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची :

01. जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत प्रथम किश्त में प्राप्त अनुदान से PerkinElmer model Flexar Binary LC Pump Platform. The Flexar Binary LC Pump Platform consists of a Flexar Binary LC Pump and Flexar Solvent Manager with 3- channel vacuum degasser. Model No. NFLRO200 क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किश्त में प्राप्त अनुदान रूपए 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) से PerkinElmer model Flexar Binary LC Pump Platform. The Flexar Binary LC Pump Platform consists of a Flexar Binary LC Pump and Flexar Solvent Manager with 3- channel vacuum degasser. Model No. NFLRO200 क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

02. एम.एस-सी. भौतिकी (विनियम क्र.-159) एवं एम.एस-सी. रसायन (विनियम क्र.-160) के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.एस-सी. भौतिकी एवं एम.एस-सी. रसायन शास्त्र दोनों विषय में अलग-अलग सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "डॉ. खेताराम चन्द्राकर मेमोरियल स्वर्ण पदक"-कुरुद प्रदान किये जाने हेतु क्रमशः विनियम क्रमांक 159 एवं विनियम क्रमांक 160 का अनुमोदन किया गया।

03. दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय का इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : i. दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय का इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के लिए अतिरिक्त परिनियम-1 में उल्लेखित अतिथियों के अलावा मंच पर आसीन होने के लिए सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर; श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन होने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी के साथ श्री प्रमोद दुबे, महापौर, रायपुर के नाम का भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल करने हेतु अनुमोदन किया गया।

ii. कुलपति जी ने यह भी जानकारी दी कि पूर्व वर्षों में मुख्य अतिथि को दीक्षांत-समारोह में मानद उपाधि दी गई है, इसी परम्परा के अनुसार इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोवर्धन मेहता(FNA, FRS), लिली-जुबिलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव इस हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् की ओर से अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया जावे।

04. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित फिजिक्स आफ नैनोमटेरियल लैब एवं खगोल भौतिकी वेधशाला का नाम क्रमशः प्रोफेसर सुरेश चन्द्र एवं प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर के नाम किए जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला स्थित फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल लैब एवं खगोल भौतिकी वेधशाला का नाम क्रमशः प्रोफेसर सुरेश चन्द्र एवं प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर के नाम किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
05. केन्द्रीय क्रय समिति में कुलसचिव के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण कर लिया जाय।
06. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.01.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.01.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
07. वार्षिक परीक्षा 2015 में परीक्षा के संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों को कुल रु. 1,85,00,000=00 (एक करोड़ पच्चासी लाख रुपए) अग्रिम स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 में परीक्षा के संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों को कुल राशि रुपए 1,85,00,000.00 (रुपए एक करोड़ पच्चासी लाख मात्र) अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
08. विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किये गये जमीन के बीच में अ-अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में अ-अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण पर संबंधित भू-स्वामियों से विचार-विमर्श कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के संबंध में निम्नानुसार समिति गठित की गई :
1. श्री श्रीचंद सुंदरानी, कार्यपरिषद् सदस्य
2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला, कार्यपरिषद् सदस्य
3. डॉ. रोहिणी प्रसाद, कार्यपरिषद् सदस्य

4. विश्वविद्यालय यंत्री

5. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव (प्रशासन)

संबंधित समिति को विश्वविद्यालय की ओर से समस्त जानकारी संपदा अधिकारी एवं पटवारी उपलब्ध कराएंगे।

09. विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन यूटीलिटी सेंटर भवन में इंडियन कॉफी हाऊस की ब्रांच/केन्टीन खोलने के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन यूटीलिटी सेंटर भवन में इंडियन कॉफी हाऊस की ब्रांच खोलने के संबंध में प्राप्त सहमति पत्र दिनांक 7.1.2015 पर सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन किया गया।

द्वितीय पूरक विषयसूची

01. दिनांक 01.08.2014 से 28.01.2015 तक कुल 70 (पी.एच-डी.) शोधार्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : दिनांक 01.08.2014 से 28.01.2015 तक कुल 70 शोधार्थियों को पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

02. Approval of faculty positions in XIIth Five Year Plan.

निर्णय : मान्य करते हुए शासन को वचनबद्धता के लिए पत्र प्रेषित किया जावे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय परिसर में संचालित है, उनका विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

03. डॉ. बी.जी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.जी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला की नियुक्ति कुलपति के पद पर पं.सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर में हो जाने के फलस्वरूप पांच वर्ष तक धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई।


04. छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला- दुर्ग के विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।


निर्णय : छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग के विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. सुमीता सिंह के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2015 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
2. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि.(निलंबित) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा किए गए गबन की राशि रुपए 30,13,370.00 (रुपए तीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्तर मात्र) की जानकारी देते हुए सरस्वती नगर थाने में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 2766/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 12/02/2015

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपकुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

8

क्र. 2761 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 11 / 02 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 09.02.2015 अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	-	सदस्य
7.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
8.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
9.	डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	-	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा. महासमुंद	M.Sc.-Prev. Botany M.Sc. -Prev. Maths	15 15	2014-15	निरीक्षण तिथि :- 10.01.2015 1. एम.एस.सी. गणित (प्रथम सेमेस्टर) में 15 छात्रों के लिये अधोसंरचना पर्याप्त है। महावि. में केवल दो शिक्षक की पदस्थापना है दो शिक्षकों की नियुक्ति और आवश्यकता होगी, पुस्तकालय में पुस्तकें अपर्याप्त है, जिसे विषयवार छात्र अनुपात से क्रय किया जाना आवश्यक है। 2. एम.एस.सी. वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों के लिये महाविद्यालय में निम्न सुविधायें हैं - (A) केवल एक कक्ष है जिसमें प्रयोगिक एवं सैद्धांतिक कक्षाएँ लगती हैं, प्रायोगिक उपकरण अपर्याप्त	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1964-65 शासन का आदेश पृ. क्र. एफ 3-87/2014/38-1 रायपुर दिनांक 22.08.2014 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 07.10.2014</p>						

9

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					<p>है, महाविद्यालय में केवल एक नियमित शिक्षक पदस्थ हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है।</p> <p>3. महाविद्यालय में एम.एस.सी. गणित के लिये 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार वनस्पति शास्त्र में 15 छात्रों की अनुमति है लेकिन 21 छात्रों को प्रवेश दिया गया है एवं रसायन शास्त्र में 25 छात्रों के लिए अनुमति है लेकिन 60 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।</p>	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी	<p>B.Sc. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. Studies, Chemistry, Botany, Zoology.)</p> <p>B.A. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. St., Geography, Sociology, History)</p> <p>B.Com. -III Compulsory Subject, Env.Sc.</p>	60	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि :- 19.01.2015</p> <p>पं. र.वि.वि. रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. 1879/अका./2014 रायपुर दिनांक 17.11.2014 के परिपालन में नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड जिला-धमतरी का आज दिनांक 20.01.2015 को नियुक्त त्रिसदस्यीय समिति ने निरीक्षण किया। ग्रंथालय में पुस्तकें कम हैं। शासन से प्राप्त आबंटन से अथवा जनभागीदारी मद से यथाशीघ्र पुस्तकें क्रय की जाएँ। महाविद्यालय वर्तमान में शास. प्राथमिक शाला के पाँच कमरों में संचालित है। भवन निर्माणाधीन है। बी.एस.सी. की प्रायोगिक कक्षायें शास. महा. कुरुद में भी संचालित होती है। महा. में दो नियमित (कामर्स एवं हिन्दी) एवं 8 संविदा सहा. प्राध्यापक नियुक्त हैं।</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 2012-13 शासन का आदेश क्र. 2566/एफ 3-65/2011/38-1 रायपुर दिनांक 05.07.2012 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 16.10.2014</p>						
3.	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महा. गरियाबंद	M.A. Final Political Science	40	2014-15	<p>निरीक्षण तिथि - 28.01.2015</p> <p>महाविद्यालय शासकीय स्कूल में संचालित है। कक्षायें पर्याप्त हैं। राजनीति विज्ञान में एक अतिथि तथा नियमित व्याख्याता कार्यरत हैं। राजनीति विज्ञान में एक सहायक प्राध्यापक तथा रु. 30,000/- की स्नातकोत्तर की पुस्तकें क्रय करने की शर्त</p>	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
<p>महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1983-84 शासन का आदेश क्र. 320/69/आउशि/योजना /13 दिनांक 04.07.2013 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 08.12.2014</p>						

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					पर सत्र 2014-15 से राजनीति विज्ञान में कक्षाएँ खोलने की 25 सीट की अनुमति हेतु पात्रता है।	
4.	शासकीय कोदूराम दलित महावि. नवागढ़, जिला-बेमेतरा	M.A. Final - Sociology B.A. II- History B.A. -III History	20 45 45	2005-06 2005-06 2006-07	निरीक्षण तिथि -13.01.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 2252/अका./2014 दिनांक 17.12.2014 के परिपालन में M.A. समाजशास्त्र सीट-20 (2005-06) बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2005-06) तथा बी.ए. भाग-II इतिहास सीट 45 (2006-07) के लिए विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु शास. कोदूराम दलित महा. नवागढ़ जिला-बेमेतरा का निरीक्षण दिनांक 13.01.2015 को किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है - 1. महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य है। 2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में 01 प्राचार्य एवं 06 सहा.प्राध्यापक का पद स्वीकृत है, जिसमें 2 प्राध्यापक नियमित एवं 05 अतिथि प्राध्यापकों से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। 4. ग्रंथालय में समस्त विषयों को मिलाकर 17470 पुस्तकें हैं, तीनों कक्षाओं के छात्रानुपात में पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
महाविद्यालय का स्थापना वर्ष - 1988-89 शासन का आदेश क्र. पृ. क्र. एफ 73-155/2003 /38 रायपुर दिनांक 04.09.2003 महाविद्यालय का आवेदन तिथि - 18.11.2003						
कार्यालयीन टीप :- महाविद्यालय को सत्र 2004-05 में बी.ए. इतिहास प्रथम वर्ष एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र की सम्बद्धता प्राप्त की है। महाविद्यालय ने बी.ए. इतिहास द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सत्र 2005-06 एवं 2006-07), एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र (सत्र 2005-06) के लिए दिनांक 07.11.2014 को आवेदन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करने के कारण आदेशानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया।						

03. शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी के एम.ए. अंतिम हिन्दी (छात्र संख्या-50) की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.04.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी-सिहावा जिला-धमतरी को सत्र 2006-07 से एम.ए. अंतिम हिन्दी के स्थान पर एम.ए. पूर्व हिन्दी हो गया था, जिसे महाविद्यालय के निवेदन पर संशोधन किया गया। संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।

04. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर का आदेश पृ. क्र. एफ 73/48/उ.शि./2003 दिनांक 21.04.2003 शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग का नाम परिवर्तन कर *इंदिरा गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग* किये जाने की अनुशंसा की गई।

05. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा प्रस्तावित नवीन विधि महाविद्यालय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.07.2012 के निर्णयानुसार, श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों में परिनियम 27 एवं 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किया है, अतः नया विधि महाविद्यालय (बी.ए.एल.एल.बी. एवं एल.एल.बी.) की स्थापना एवं सम्बद्धता हेतु कार्यवाही को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जावे। संबंधित महाविद्यालय को सूचना दी जावे।

06. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर के बी.एस.सी. बायो ग्रुप एवं बी.काम. की स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर को आगामी तीन वर्षों के लिए बी.एस.सी. (रसायन, वनस्पति शास्त्र, एवं प्राणी शास्त्र) तथा बी.काम. सभी अनिवार्य विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

अशैक्षणिक स्टाफ 2008 से कार्यरत है परंतु परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त नहीं है। अतः 3 माह के अंदर परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति किया जाय अन्यथा 1 वर्ष बाद स्थायी सम्बद्धता समाप्त किया जाएगा।

07. सत्र 2014-15 की वार्षिक सम्बद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-

1	शासकीय महाविद्यालय गोवरा- नवापारा, जिला- रायपुर (2013-14)
2	शास. कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
3	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुन्द
4	शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर
5	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद (2013-14 एवं 2014-15)
6	शास. महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
7	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
8	पं. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, साजा, जिला-बेमेतरा (2013-14)

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 एवं 2014-15 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. परिनियम क्र.-14 (Honorary Degree) के प्रावधानानुसार गठित समिति द्वारा प्रो. गोवर्धन मेहता, लिली-जुबलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय के गरिमामय इक्कीसवाँ दीक्षांत समारोह में परिनियम 14 के प्रावधानानुसार उनकी उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र में राष्ट्र के लिए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की डी.एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने संबंधी अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।
02. शोध छात्रों द्वारा शोध रूपरेखा एवं शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व Plagiarism की जांच के संबंध में सुझाव एवं अभिमत के लिए गठित समिति की अनुशंसा में आंशिक संशोधन करते हुए मान्य किया गया :-

Guidelines for Plagiarism Check

1. A Plagiarism Check using either Turnitin or iThenticate software is mandatory prior to the submission of synopsis and the thesis.
 2. The following criteria of exclusion will be followed while generating the Plagiarism Report:
 - a) Quotes
 - b) Bibliography
 - c) Phrases
 - d) Small matches up to 10 words
 - e) Small similarity less than 1%
 - f) Mathematical Formula
 - g) Name of Institutions, Departments etc.
 3. If the student has published paper(s) that has/have been included in the thesis should be excluded while checking for Plagiarism.
 4. Published Paper will also be checked for plagiarism. If any part of the paper is detected under plagiarism has similarity with the text also included in the thesis will be referred as plagiarism in the thesis.
 5. The final Plagiarism report will be issued by the Library and will be forwarded to the Chairman of the DRC of the respective subject.
 6. The Plagiarism Verification Report, following its validation by the Chairman of the DRC of the respective subject, will be appended by the student in his/her thesis.
 7. The student must use following fonts while typesetting the synopsis and the thesis: (a) For English (Times New Roman/ Arial); (b) For Hindi (Kriti Dev 010/ 011).
03. शोध छात्रों द्वारा शोध सारांश अथवा शोध प्रबंध जमा करते समय कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में विचार कर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार जर्नल में शोध पत्र का प्रकाशन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


To enhance the quality of research, our university is in the process of redefining and revising the guidelines for "Standard Research Journals. In the recently [January 7, 2014] held meeting of Deans chaired by Kulpati, Pt.RSU following norms have been proposed for rating "Standard Journal" :

1. The journal referred in the list of SCI [Science Citation Index]/SSCI [Social Science Citation Index] /A&HCI [Arts & Humanities Citation Index] of Thomson Reuters

13

2. National Academy Journals
3. All research journals published by Govt. of India or Govt. aided agencies
4. All subject based society journals with at least 20 years of standing with regular publications
5. List of all the research journals approved by other universities recognized UGC
6. Journal of Pt. Ravishnagar Shukla University

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 2762 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015

रायपुर, दिनांक: 11/02/2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

14

क्रमांक: 3079 / अका./ वि. परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 16/03/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बुधवार, दिनांक 04.03.2015 को अपराह्न 3:00 बजे डॉ. सी. वी. रमन हॉल विज्ञान भवन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए -

1. प्रोफेसर शिवकुमार पाण्डेय, कुलपति - अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद - सदस्य
3. डॉ. एस. सी. नैथानी - सदस्य
4. डॉ. रश्मि मिंज - सदस्य
5. डॉ. विभूति राय - सदस्य
6. डॉ. ज्योति पाण्डेय - सदस्य
7. डॉ. जया तिवारी - सदस्य
8. डॉ. शैल शर्मा - सदस्य
9. डॉ. माया वर्मा - सदस्य
10. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा - सदस्य
11. डॉ. अंजना ठाकुर - सदस्य
12. डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव - सदस्य
13. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार - सदस्य
14. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल - सदस्य
15. डॉ. सरला शर्मा - सदस्य
16. डॉ. आर. एन. बघेल - सदस्य
17. डॉ. कविता ठाकुर - सदस्य
18. डॉ. एस. के. पाण्डेय - सदस्य
19. डॉ. एच. के. पाठक - सदस्य
20. डॉ. संजय कुमार - सदस्य
21. डॉ. माया शेडपुरे - सदस्य
22. डॉ. ए. के. गुप्ता - सदस्य
23. डॉ. अरुण कुमार - सदस्य
24. डॉ. स्वर्णलता सराफ - सदस्य
25. डॉ. अब्दुल अलीम खान - सदस्य
26. डॉ. (श्रीमती) एम. वाणी सुब्रमनियम - सदस्य
27. डॉ. ज्योति रवि तिवारी - सदस्य
28. डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर - सदस्य
29. डॉ. बी. के. शर्मा - सदस्य

30. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
31. डॉ. ए.के. पाण्डेय	—	सदस्य
32. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
33. डॉ.(श्रीमती) अनुसुईया बघेल	—	सदस्य
34. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
35. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
36. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
37. डॉ. संजय तिवारी	—	सदस्य
38. डॉ.(श्रीमती) रक्षा सिंह	—	सदस्य
39. डॉ.(श्रीमती) ममता शर्मा	—	सदस्य
40. डॉ. सतीश जे. केकरे	—	सदस्य
41. डॉ. राजीव तिवारी	—	सदस्य
42. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
43. डॉ.(श्रीमती) प्रिया राव	—	सदस्य
44. श्रीमती अनुभा झा	—	सदस्य
45. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 06.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.02.2014, 22.03.2014, 16.04.2014, 03.06.2014, 11.07.2014, 11.08.2014, 09.09.2014, 14.10.2014, 08.12.2014, 12.01.2015 एवं 09.02.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02. 2014, 22.03. 2014, 16.04.2014, 03.06. 2014, 11.07. 2014, 11.08. 2014, 09.09.2014, 14.10. 2014, 08.12. 2014, 12.01. 2015 एवं 09.02.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

4. मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) के अंतर्गत पंचवर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए भौतिकी, गणित, रसायन, जैविकी विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 जनवरी, 2015 में की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) के अंतर्गत पंचवर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए भौतिकी, गणित, रसायन, जैविकी विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल की संयुक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 जनवरी, 2015 में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

5. संकाय के गठन के लिए विद्यापरिषद् से तीन सदस्यों के नाम नामांकित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संकाय के गठन के लिए विद्यापरिषद् की ओर से तीन सदस्यों के नाम नामांकित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

पूरक विषयसूची

01. अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम 2014 को अंगीकृत के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् द्वारा लिये गए निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियम 2014 को अंगीकृत करने के संबंध में विद्यापरिषद् के स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् में लिए गए निर्णय की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एड., एम.एड. एवं बी.पी.एड. के लिए प्रत्येक पहलू पर विचार करते हुए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश तैयार किया जावे, जिससे इस विनियम के उद्देश्यों का पालन हो सके।

02. सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अंतर्गत एम.एस-सी. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के लिए पृथक अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: सेंटर फॉर बेसिक साइंस के अंतर्गत एम.एस-सी. इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु प्रस्तावित अध्यादेश की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजकर अभिमत प्राप्त कर ली जाय तथा इस हेतु प्राप्त अभिमत के आधार पर संबंधित समिति आवश्यकतानुसार सुधार कर अंतिम रूप दें।

03. विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Choice Based पाठ्यक्रम को सत्र 2015-16 से सम्मिलित करने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए C.B.C.S. के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक अथवा दो-दिवसीय कार्यशाला एकेडमिक स्टॉफ कॉलेज के माध्यम से आयोजित कर

आवश्यक जानकारी प्रदान किया जाय तथा इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश के अनुसार पुनः संबंधित अध्ययन मंडल के माध्यम से पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जावे।

04. विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2015-16 के लिए संबंधित अध्ययन मण्डल एवं संकाय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2015-16 के लिए संबंधित अध्ययन मंडल एवं संकाय द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया।
05. विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना बाबत्।
निर्णय: 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली द्वारा हिंदी विभाग की स्थापना हेतु स्वीकृत पद, भवन निर्माण, उपकरण एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु स्वीकृत राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
06. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मूल विज्ञान केन्द्र (Centre for Basic Science) स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: राज्य सरकार के द्वारा मूल विज्ञान केन्द्र(Centre for Basic Science) के लिए स्वीकृत पद की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
07. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद चेयर स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद चेयर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा की सूचना ग्रहण की गई।
08. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र स्थापित करने बाबत्।
निर्णय: 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार -1. Post-Graduate Diploma in Food Processing Technology, 2. Diploma in Gem Identification, Cutting & Polishing, 3. Advanced Diploma in Gem Cutting, Polishing and Jewellery Designing, 4. Degree (B.Voc.) in Gem & Jewellery Industry Professional पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
09. पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने बाबत्।
निर्णय: पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्वीकृत पदों की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय -

01. मैकेले विश्वविद्यालय, इथियोपिया एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: मैकेले विश्वविद्यालय, इथियोपिया एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के बीच पाँच वर्षों के लिए एम.ओ.यू. पर दिनांक 12.02.2015 को संयुक्त हस्ताक्षर हुए। इसमें प्रमुखतः अध्ययन एवं शोध-कार्य हेतु छात्रों एवं अध्यापकों का आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के मध्य करार किया गया।

पं. रविशंकरशुक्ल विश्वविद्यालय की सहभागिता में मैकेले विश्वविद्यालय में 22 - 26 दिसम्बर 2015 से अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका शीर्षक है "Safe guarding Living Cultural Heritage of the World" (विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण) इसके अंतर्गत पारंपरिक संगीत, नृत्य, ड्रामा पारंपरिक भोजन, IPR इत्यादि पर चर्चा होगी। दोनों विश्वविद्यालयों के सहयोग से "Centre of Excellence on Indigenous Knowledge" की स्थापना मैकेले विश्वविद्यालय में की जायेगी जहाँ दोनों विश्वविद्यालय के छात्र एवं अध्यापक अध्ययन एवं शोध-कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत पी. जी. डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एन.जी.ओ. मैनेजमेंट, पी.जी. डिप्लोमा इन कॉरपोरेट एन्थ्रोपोलॉजी, पी.जी. डिप्लोमा इन मीडिया एन्थ्रोपोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी, मास्टर प्रोग्राम इन सस्टेनबल डेव्हलपमेंट इत्यादि पाठ्यक्रम संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किये जाएँगे। इसके अलावा "Ethio-Indo Cultural Cooperative Society" का गठन किया जायेगा, जिसके अंतर्गत लोक कलाकारों के आदान-प्रदान एवं उससे जुड़े शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जायेगा। जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य जीवंत संपर्क एवं सहयोग का शुभारंभ होगा। संयुक्त तत्वाधान में "Journal on Corporate Anthropology" का प्रकाशन किया जाना भी प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय द्वारा किये गये एम.ओ.यू. की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 3680 / अका. / वि.परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 16 / 03 / 2015

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
4. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उप कुलसचिव (अका.)

- (i) The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable material found in his or her possession including the answerbooks and a memorandum shall be prepared with date and time.
- (ii) The statement of the examinee and the invigilator shall be recorded.
- (iii) The examinee shall be issued a fresh answerbooks marked 'Duplicate-Using Unfair Mean's to attempt answer-within the remaining time prescribed for the examination.
- (iv) All the material so collected and the entire evidence alongwith the statement of the examinee and the answerbooks duly initialed shall be forwarded to the Registrar by name, in a separate confidential sealed registered packet marked "Unfair Means" alongwith the observations of the Superintendent.
- (v) The material so collected from the examinee together with both the answer books s viz., the answerbooks collected while using unfair means and the other supplied afterwards, will be sent to an expert in the subject appointed by the Kulapati for assessing both the answerbooksseparately and to report if the examinee has actually used unfair means in view of the material collected.
- ✓ (vi) The cases of the use of unfair means at the examination as reported by the Centre Supdt. alongwith the report of the Examiner shall be examined by a Committee to be appointed by the Executive Council every year.

The Committee shall consist of:-

- ✓ (a) One member of the Executive Council one of the Deans of Faculties and one teacher who is a member of the Academic Council nominated the executive council.
- (b) One student who in the academic session immediately preceding was member of any Board of study, nominated by the Kulapati
- (c) Registrar (Secretary)

The Executive Council shall appoint one of the members included under (a) to be a Chairman of the Committee w.e.f.1991 (Main)



- :: आदेश ::-

क्रमांक/११५/अनु. साधन/गोप./2014

रायपुर, दिनांक 5/06/2014

वर्ष 2014 की वार्षिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 05 की धारा 21 की उपधारा 06 (ए) के तहत अनुचित साधन प्रकरण (यू.एफ.एम.) निराकरण समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | डॉ. रोहिणी प्रसाद
कार्यपरिषद सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष
अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. भगवन्त सिंह
संकायाध्यक्ष आचार्य एवं अध्यक्ष
स्वामी विवेकानंद तुलनात्मक धर्म दर्शन
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर | - | सदस्य |
| 3. | डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश
उपाचार्य विद्या परिषद् सदस्य
विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान
रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर | - | सदस्य |
| 4. | कुल सचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर | - | सचिव |

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक/११५/अनु. साधन/गोप./2014

रायपुर, दिनांक 5/06/2014

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक ।
2. उपरोक्त सदस्यों की ओर इस निवेदन के साथ सूचनार्थ प्रेषित है कि अनुचित साधन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सहमति शीघ्र भेजने की कृपा करें ।
3. प्रभारी अधिकारी, अकादमी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की ओर आगामी कार्यपरिषद् में सूचनार्थ रखने हेतु प्रेषित ।


उपकुलसचिव (गोप.)

// कार्यालयीन टीप //

विषय—पर्यावरण अध्ययन शाला हेतु आयन क्रोमेटोग्राफी ,उपकरण अनुदान
(25,00000 रू) से क्रय प्रस्ताव का कार्यपरिषद के अनुमोदन बाबत।

आयन क्रोमेटोग्राफी एवं इसके सहायक उपकरण खरीदा जाना है। इस हेतु विश्व में दो कंपनिया (थर्मो—फिशर साइंटिफिक यूएसए एवं मेट्रोहम स्विटजरलैण्ड) हैं। इन कंपनियों के द्वारा भारत में अधिकृत विक्रेता (थर्मो फिशर साइंटिफिक प्रा. लि. कोलकता और लक्ष्मी साइंटिफिक रायपुर) से भावपत्र अमंत्रित किया गया है। न्यूनतम दर के आधार पर क्रय किया जाना है। इसके लिए थर्मो फिशर साइंटिफिक, के द्वारा आयन क्रोमेटोग्राफी एवं इसके सहायक उपकरण (पंप, कॉलैम, डिटेक्टर, सप्रेसर, आटो सैम्पलर) का सभी कर सहित मुल्य 24000 यू.एस. डॉलर (1550000 रू.) दिया गया है जो कि सबसे न्यूनतम है। खरीदी हेतु विभागीय क्रय समिति के द्वारा दिनांक 23-01-2015 एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा दिनांक 25-02-2015 को अनुमोदित किया गया है।

अतः थर्मो फिशर साइंटिफिक, यूएसए. से आयन क्रोमेटोग्राफी—ICS-1100 एवं इसके सहायक उपकरण मुल्य (सभी कर सहित) US\$ 24000=00 क्रय की, कार्यपरिषद से अनुमोदन हेतु नस्ती प्रस्तुत है।



Prof. K.S. Patel


S.O.S. in Sp. Sci. & Tech. V. Lab.
FL. Govt. Engg. College, Gandhinagar,
Rajkot (Guj.)

कार्यालयीन टीप

विषय :- भौतिकी अ0शाला द्वारा Spectroflourimeter उपकरण US \$ 15,000 (रु. 9,33,974.00) के व्यय पर क्रय करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

भौतिकी अ0शाला द्वारा U.G.C. Equipment fund के तहत स्वीकृत राशि से Spectroflourimeter क्रय करने के लिये निविदा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराई गई। प्राप्त निविदाओं को विभागीय क्रय समिति की बैठक 20.02.2015 को खोली गई। जिसमें से मे. टासविन एनालिटिकल प्रा.लि., मुंबई का भावपत्र निविदा में दी गई specification को 100% पूरा करने एवं निर्माता कम्पनी के भारत स्थित अधिकृत विक्रेता प्रतिनिधि के आधार पर स्वीकार की गई है। जिससे Spectroflourimeter उपकरण कुल US \$ 15,000 (रु. 9,33,974.00) के व्यय पर क्रय करने की अनुशंसा की है। जिसे केन्द्रीय क्रय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 25.02.2015 को क्रय करने की अनुशंसा की है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


 Professor & Head,
 S.O.S. in Physics & Astrophysics,
 Pt. Ravishankar Shukla University,
 SURABPUR, (C.G.) 492010

01/10/15
2015/10/01

[Handwritten signature]

1. भारतीय संसद के गृह सचिव, कामगार, केंद्र (ए.पी.)
2. भारतीय संसद (पी. के. गृह सचिव, कामगार, केंद्र)
3. विद्युत संचालन, भारतीय गैस पी. एन. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
4. विद्युत संचालन के सचिव, ए.पी. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
5. सचिव, ए.पी. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
6. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)
7. विद्युत संचालन (ए.पी.), कामगार, केंद्र, तथा सचिव
8. विद्युत संचालन (ए.पी.)/केंद्र के सचिव
9. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
10. अन्य सचिव

प्रति -

पं. कामगार एवं - 3-74/2014/38-2

01/10/15
2015/10/01

[Handwritten signature]

अज्ञान ही क्या जाह

विद्युत संचालन एंड गैस सचिव (ए.पी.) के सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव के पद पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 18 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देना होगा।

2. उक्त विद्युत संचालन के सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव के पदों पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 18 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देना होगा।

विद्युत संचालन एंड गैस सचिव (ए.पी.) के सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव के पदों पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 18 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देना होगा।

---00---

प्रति -

विद्युत संचालन एंड गैस सचिव (ए.पी.) के सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव के पदों पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्रों की जांच के बाद 18 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देना होगा।

1. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
2. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)
3. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
4. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)
5. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
6. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)
7. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
8. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)
9. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव
10. सचिव, कामगार, केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)

प्रति -

पं. कामगार एवं - 3-74/2014/38-2

01/10/15
2015/10/01

01/10/15

विद्युत संचालन एंड गैस सचिव (ए.पी.)

केंद्र

केंद्र, तथा सचिव

केंद्र, तथा सचिव (ए.पी.)

23

कार्यपरिषद की आठवीं बैठक दिनांक 02.02.2015 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन			
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।	---			
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 12.12.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.12.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।	---			
03	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.01.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.1.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विषय क्रमांक 6 एलाइंस महाविद्यालय के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट होना चाहिए कि जमीन पर महाविद्यालय के भवन बनाने के संबंध में क्या योजना है, तथा कब तक तैयार होगा एवं कब शिफ्ट करेंगे, विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाय। उच्च शिक्षा विभाग को भी संबंधित महाविद्यालयों में अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में जानकारी दी जावे।	पत्र क्र. 2926/अका./2015 दिनांक 28.02.2015 भेजी गई।			
04	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथागार समिति के अधिसूचना क्रमांक 389/कुलसचिव कार्या./ग्रंथा /2015 दिनांक 19.01.2015 की सूचना ग्रहण करना।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथागार समिति में कार्यपरिषद की ओर से कुलपति द्वारा नामित सदस्यों के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक 389/कु.स./ग्रंथा./2015 दिनांक 19.01.2015 की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही हो चुकी है।			
05	कु. सुषमा जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर अध्ययनशाला के धारणाधिकार दिनांक 02.02.2015 से समाप्त करने के प्रकरण पर विचार करना।	कु. सुषमा जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर अध्ययनशाला के धारणाधिकार दिनांक 02.02.2015 को समाप्त होने के फलस्वरूप आगामी वृद्धि नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।	पत्र क्र. 599/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.02.2015 जारी की जा चुकी है।			
06	वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों/अधिकारी के स्थायीकरण एवं कु. माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि किए जाने के प्रकरण पर विचार करना।	वर्ष 2012 में नियुक्त शिक्षकों/अधिकारी के स्थायीकरण संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित शिक्षकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए तिथि से स्थायीकरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई :	सामान्य प्रशासन का आदेश क्र. 587/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा स्थायीकरण आदेश जारी किया गया।			
		क्रमांक		नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण तिथि
		1		डॉ. राजीव चौधरी, प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा	21.11.2012	21.11.2014
2	डॉ. के.आर. हरि, प्रोफेसर, भूविज्ञान	07.12.2012	07.12.2014			

क्र.	विषय	निर्णय			पालन प्रतिवेदन		
		3	डॉ. अशोक कुमार प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर, मानवविज्ञान	08.11.2012	08.11.2014	पत्र क्र. 589/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.02.2015 जारी की जा चुकी है।	
		4	डॉ. केशवकांत साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, जैवतकनीकी	08.11.2012	08.11.2014		
		5	डॉ. श्रीमती आरती परगनिहा, एसोसिएट प्रोफेसर, जैविकी	08.11.2012	08.11.2014		
		6	डॉ. श्रीमती उमा गोले, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल	08.11.2012	08.11.2014		
		7	डॉ. श्रीमती अर्चना सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र	08.11.2012	08.11.2014		
		8	डॉ. सुनील कुमार कुमेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र	08.11.2012	08.11.2014		
		9	डॉ. नागेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैवतकनीकी	08.11.2012	08.11.2014		
		10	श्री राजेन्द्र कुमार जांगड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी	08.11.2012	08.11.2014		
		11	डॉ. हरीश कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथालय एवं सूचनाविज्ञान	08.11.2012	08.11.2014		
		12	श्री डिश्वर नाथ खुंटे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास	09.11.2012	09.11.2014		
		13	डॉ. नितेश कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास	09.11.2012	09.11.2014		
		14	डॉ. श्रीमती प्रिया राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि	09.11.2012	09.11.2014		
		15	डॉ. बंशो नुरुटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास	16.11.2012	16.11.2014		
		16	श्री वेणुघर रौतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि	19.11.2012	19.11.2014		
		17	श्री अदीप कुजूर, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी	20.11.2012	20.11.2014		
		18	श्री राकेश तिकी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी	03.12.2012	03.12.2014		
		19	श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, सहायक ग्रंथपाल	21.11.2012	21.11.2014		
		कु. माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंधन संस्थान के सत्र 2012-13 एवं 2013-14 के प्राप्त स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर परिनियम-31 की कडिका-5(1) के तहत परिवीक्षा अवधि दिनांक 21.11.2014 से एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।					

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
07	शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के माह जुलाई 2014 से सितंबर 2014 (तीन माह) तक के महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि की भुगतान के स्वीकृति संबंध में विचार करना।	शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के माह जुलाई 2014 से सितंबर, 2014 (तीन माह) तक के महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि शासन के आदेश क्रमांक 488/एफ-2013-04-00416/वि./नि./चार, नया रायपुर दिनांक 16.12.2014 के अनुसार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।	पालन प्रतिवेदन भुगतान किया जा चुका है।
08	परीक्षा कार्य से वंचित किए गए प्राध्यापकों के प्रकरण पर विचार करना।	परीक्षा कार्य से वंचित किए गए निम्नलिखित प्राध्यापकों को उनके प्राचार्यों के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने की स्थिति में परीक्षा कार्य पुनः प्रदान करने की अनुमति दी जावे : 1. डॉ. जे.एल.पटले, 2. डॉ. ए.के. सोनपुरी, 3. डॉ. राजेश चौरसिया, 4. श्रीमती सीमा साहू, 5. डॉ. सपन कुमार शाह, 6. डॉ. राजेन्द्र शर्मा, 7. डॉ. श्रीकांत प्रधान, 8. श्री एस.सी. खग, 9. डॉ. संतोष कुमार शर्मा, 10. श्री मनोहर बोकड़े, 11. श्री संजय कुमार जगताप, 12. डॉ. किरण अग्रवाल, 13. डॉ. सुधीर जैन, 14. डॉ. आई.पी. दिनकर, 15. डॉ. सरोजनी भारसाकले, 16. डॉ. अखिलेश चन्द्र वर्मा।	अधिसूचना क्र. 2188/गोप/2015 दिनांक 10.03.2015 जारी किया गया।
09	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही किया जा रहा है।
10	विश्वविद्यालय के 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय के 50वाँ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	प्रकाशित हो चुका है।
11	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, पचेड़ा रोड, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, पचेड़ा रोड, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. बीजी बहादुर के नाम का अनुमोदन किया गया।	पत्र क्र. 2895/अका./2015 दिनांक 26.02.2015 जारी किया गया।
पूरक विषय सूची			
01	जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत प्रथम किश्त में प्राप्त अनुदान से PerkinElmer model Flexar Binary LC Pump Platform. The Flexar Binary LC Pump Platform consists of a Flexar Binary LC Pump and Flexar Solvent Manager with 3- channel vacuum degasser. Model No. NFLRO200 क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	जैवप्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रथम किश्त में प्राप्त अनुदान रुपए 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) से PerkinElmer model Flexar Binary LC Pump Platform. The Flexar Binary LC Pump Platform consists of a Flexar Binary LC Pump and Flexar Solvent Manager with 3- channel vacuum degasser. Model No. NFLRO200 क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।	सप्लाई आदेश भेजी जा चुकी है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
02	एम.एस-सी. भौतिकी (विनियम क्र.-159) एवं एम.एस-सी. रसायन (विनियम क्र.-160) के अनुमोदन पर विचार करना।	एम.एस-सी. भौतिकी एवं एम.एस-सी. रसायन शास्त्र दोनों विषय में अलग-अलग सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "डॉ. खेतराम चन्द्राकर मेमोरियल स्वर्ण पदक"-कुरुद प्रदान किये जाने हेतु क्रमशः विनियम क्रमांक 159 एवं विनियम क्रमांक 160 का अनुमोदन किया गया।	अधिसूचना क्र. 3013 एवं 3015/अका. /2015 दिनांक 10.03.2015 जारी किया गया।
03	दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय का इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के अतिथियों की सूची के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।	i. दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विश्वविद्यालय का इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के लिए अतिरिक्त परिनियम-1 में उल्लेखित अतिथियों के अलावा मंच पर आसीन होने के लिए सर्वश्री रमेश बैस, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, रायपुर; श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन; श्री राजेश मूणत, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन होने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी के साथ श्री प्रमोद दुबे, महापौर, रायपुर के नाम का भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल करने हेतु अनुमोदन किया गया। ii. कुलपति जी ने यह भी जानकारी दी कि पूर्व वर्षों में मुख्य अतिथि को दीक्षांत-समारोह में मानद उपाधि दी गई है, इसी परम्परा के अनुसार इक्कीसवाँ दीक्षांत-समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोवर्धन मेहता(FNA, FRS), लिली-जुबिलियंट चेयर प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को डी. एस-सी. (विज्ञान संकाय) की मानद उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव इस हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् की ओर से अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया जावे।	कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
04	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थित फिजिक्स आफ नैनोमटेरियल लैब एवं खगोल भौतिकी वेधशाला का नाम क्रमशः प्रोफेसर सुरेश चन्द्र एवं प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर के नाम किए जाने के संबंध में विचार करना।	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला स्थित फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल लैब एवं खगोल भौतिकी वेधशाला का नाम क्रमशः प्रोफेसर सुरेश चन्द्र एवं प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर के नाम किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	आदेश क्र. 944/2015 दिनांक 17.03. 2015 जारी किया गया।
05	केन्द्रीय क्रय समिति में कुलसचिव के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।	निर्णय लिया गया कि पुनः परीक्षण कर लिया जाय।	---
06	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.01. 2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.01.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की जा रही है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
07	वार्षिक परीक्षा 2015 में परीक्षा के संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों को कुल रु. 1,85,00,000=00 (एक करोड़ पच्चासी लाख रुपए) अग्रिम स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	वार्षिक परीक्षा 2015 में परीक्षा के संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों को कुल राशि रुपए 1,85,00,000.00 (रुपए एक करोड़ पच्चासी लाख मात्र) अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।	अग्रिम प्रदान की जा चुकी है।
08	विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किये गये जमीन के बीच में अ-अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में अ-अधिग्रहित भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण पर संबंधित भू-स्वामियों से विचार-विमर्श कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के संबंध में निम्नानुसार समिति गठित की गई : 1. श्री श्रीचंद सुंदरानी, कार्यपरिषद् सदस्य 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला, कार्यपरिषद् सदस्य 3. डॉ. रोहिणी प्रसाद, कार्यपरिषद् सदस्य 4. विश्वविद्यालय यंत्री 5. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव (प्रशासन) संबंधित समिति को विश्वविद्यालय की ओर से समस्त जानकारी संपदा अधिकारी एवं पटवारी उपलब्ध कराएंगे।	अधिसूचना क्र. 693/सा.प्रशा./भू.अधि./2015 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा समिति गठित की जा चुकी है।
09	विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन यूटीलिटी सेंटर भवन में इंडियन कॉफी हाऊस की ब्रांच/केन्टीन खोलने के संबंध में।	विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन यूटीलिटी सेंटर भवन में इंडियन कॉफी हाऊस की ब्रांच खोलने के संबंध में प्राप्त सहमति पत्र दिनांक 7.1.2015 पर सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदन किया गया।	प्रक्रियाधीन है।
		द्वितीय पूरक विषयसूची	
1	दिनांक 01.08.2014 से 28.01.2015 तक कुल 70 (पी.एच-डी.) शोधार्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार करना।	दिनांक 01.08.2014 से 28.01.2015 तक कुल 70 शोधार्थियों को पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान करने हेतु कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा दी गई स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की गई।
2	Approval of faculty positions in XII th Five Year Plan.	मान्य करते हुए शासन को वचनबद्धता के लिए पत्र प्रेषित किया जावे। स्ववित्तीय पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय परिसर में संचालित है, उनका विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।	पत्र क्र. 6879/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 24.01.2014 भेजी गई।
3	डॉ. बी.जी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला को धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।	डॉ. बी.जी. सिंह, प्रोफेसर, मनोविज्ञान अध्ययनशाला की नियुक्ति कुलपति के पद पर पं.सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर में हो जाने के फलस्वरूप पांच वर्ष तक धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई।	आदेश क्र. 394/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 02.02.2015 जारी की गई।
4	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला- दुर्ग के विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग के विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. सुमीता सिंह के नाम का अनुमोदन किया गया।	पत्र क्र. 2865/अका./2015 दिनांक 23.02.2015 जारी की गई।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
	बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।		
		अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :	
		1. वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2015 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही की जा रही है।
		2. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि. (निलंबित) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा किए गए गबन की राशि रुपये 30,13,370.00 (रुपए तीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्तर मात्र) की जानकारी देते हुए सरस्वती नगर थाने में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज कराये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।	-


 कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्र. 3109 / अका. / 2015

रायपुर, दिनांक 19 / 03 / 2015

प्रति,

माननीय कार्यपरिषद् सदस्य,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:—वित्तीय वर्ष 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक के अनुमोदन बाबत।

आदरणीय महोदय,

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015 के विषय क्रमांक 04 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्यय पत्रक एवं 2015-16 का अनुमानित आय-व्यय पत्रक, इस पत्र के साथ संलग्न कर, प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

चर



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की नवी* बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 को मध्यान्ह

12.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा Directorate of Physical Education के Equipment/Computer/Other Machine मद से बास्केटबाल पोल/बोर्ड के लिए रु. 5,90,000/- के क्रय/निर्माण करने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 01)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
02. Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के क्रय के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा यू.जी.सी. की बारहवीं योजना के उपकरण अनुदान के अंतर्गत निर्माता M/s Holmarc Optomachanism, Kochi से sole Proprietary के आधार पर Variable Angle Spectroscopic Ellipsometer एवं अन्य उपकरण कुल रु. 999070=00 के व्यय पर क्रय किये जाने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
03. दीक्षांत समारोह एवं पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रु. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 02)
04. Public Outreach Lecture हेतु प्रस्तावित मानदेय के संबंध में विचार करना।
टीप : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में Public Outreach केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों/विधानों/प्रोफेसरों के व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। प्रति व्याख्यान हेतु रु. 2000/- मानदेय प्रस्तावित है। यह राशि Public Outreach Grant से देय होगा। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
05. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 180 में प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 03)
टीप : प्रपत्र-दो संलग्न है।
06. रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई में विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : विभागाध्यक्ष शिक्षा के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

07. ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलमाटा, अभनपुर, रायपुर के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
08. उदय महाविद्यालय, ए.सी.सी. बोगदा पुल, जामुल भिलाई, जिला-दुर्ग के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
09. अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

01

कार्यालयीन टीप

विषय :- बास्केटबाल पोल/बोर्ड कय कर स्थापित करने के संबंध में प्राप्त निविदा पर विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला द्वारा Directorate of Physical Education के Equipment/Computer/Other Machine मद से 2 Pair बास्केटबाल पोल/बोर्ड कय कर स्थापित करने के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराई गई, 4 संस्थाओं से भावपत्र प्राप्त हुए जिसमें से फर्म, क्वालिटी स्पोर्ट्स, भिलाई का भावपत्र/डिजाइन को विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए मापदण्डों को शत प्रतिशत पूरा करने के आधार पर कार्य संपादन की अनुशंसा की गई है। उक्त कार्य संपादन में रू. 5,90,000/- का व्यय होगा। जिसे केन्द्रीय कय समिति ने अपनी बैठक दिनांक 19-3-15 को अनुशंसा की है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


Head
S.O.S. in Physical Education
Pt. Ravishankar Shukla University
Raipur (C.G.) 492010

// कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //

02

विषय :- दीक्षांत समारोह एवं पं.रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथियों को यात्रा व्यय के साथ मानदेय के रूप में रू. 11,000/- प्रदान करने की सूचना ग्रहण करने।

---00---

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में दिनांक 21.02.2015 को आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालय के गरिमापूर्ण दीक्षांत समारोह में माननीय प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, FNA, FRS, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

विश्वविद्यालय के उक्त गरिमामयी आयोजन में आमंत्रित मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर गोवर्धन मेहता, FNA, FRS, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद को यात्रा व्यय के साथ-साथ रू. 11,000/- मानदेय के रूप में सम्मान स्वरूप प्रदाय किए गए।

इसी प्रकार दिनांक 13.03.2015 को आयोजित पं.रविशंकर शुक्ल व्याख्यान माला में मुख्य अतिथि के रूप में सुविख्यात पर्यावरणविद् श्री अनुपम मिश्र, नई दिल्ली उपस्थित हुए।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सम्मान स्वरूप रू. 11,000/- मानदेय प्रदान किया गया।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रपत्र – दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम : अध्यादेश क्रमांक 180
क्रमांक
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)**
4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि

वि.वि. अधिनियम/ अध्यादेश/ परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
180	In clause (2) LL.B. First Semester shall be commence from the month of July every year and the Semester examination shall be held in the month of January of the following year. Examination for all the semester shall be held twice a year namely January/February and July/August.	In clause (2) LL.B. First Semester shall commence from the month of July every year. The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.	अन्य संकायों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु यह संशोधन आवश्यक है।

दिनांक :

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(128)

271

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की अठारहवीं बैठक
दिनांक 06 जून 2011

कार्यवाही विवरण

महामति
समन्वय समिति
विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
राजधानी
राज्य
दिनांक 06/06/2011

137
276

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रस्ताव -
प्रस्ताव क्र.-02 परिनियम 1 'Terms and conditions of Service of Vice-Chancellor'

परिनियम का विद्यमान प्रावधान	परिनियम का प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्ताव का औचित्य
The Kulpati shall receive a fixed pay of Rs. 25000.00 per month plus other allowances as admissible from time to time. If he assumes his charge after attaining the normal age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then either his pay and allowances will be reduced by the gross amount of his pension amount prior to commutation or the payment of pension shall be held in abeyance upto the date of his relinquishing charge of the post of the Kulpati. On the other hand, if he assumes charge after attaining the normal age of superannuation and he was on a non-pensionable post, his gross pension equivalent of retirement will be reduce from the pay and allowances admissible for the post of 'Kulpati'.	The Kulpati shall receive a fixed pay as recommended by UGC and adopted/ accepted by state government plus other allowances as admissible from time to time. If he assumes his charge after attaining the normal age of superannuation and is receiving pension due to his past services, then either his pay and allowances will be reduced by the gross amount of his pension amount prior to commutation or the payment of pension shall be held in abeyance upto the date of his relinquishing charge of the post of the Kulpati. On the other hand, if he assumes charge after attaining the normal age of superannuation and he was on a non-pensionable post, his gross pension equivalent of retirement will be reduce from the pay and allowances admissible for the post of 'Kulpati'.	छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. 1221/एफ-2-10/20/09/38-1 दिनांक 30.03.2010 के अनुक्रम में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16.04.2010 के विन्दु क्रमांक 6 में हुए निर्णय एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2085/सा.प्रशा. /10 दिनांक 20.01.2010 के अनुसार कुलपति को भी संशोधित वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णय : -- प्रस्ताव मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र.-03 परिनियम 27 Admission of Colleges to the Privileges of the University and Withdrawal Thereof (Refer Clause (1) of Section- 35.

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन									
2 (1) Such applications shall be made in the form prescribed by the Executive Council of the University alongwith the fees mentioned below :-										
FOR UNDER GRADUATE COURESES										
(a) Admission fee for opening a new Collage with one Faculty and not more than four subject thereof	<table border="1"> <tr> <td>Ist Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> <tr> <td>IInd Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> <tr> <td>IIIrd Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> </table>	I st Year	Rs. 5000/-	30000/-	II nd Year	Rs. 5000/-	30000/-	III rd Year	Rs. 5000/-	30000/-
I st Year	Rs. 5000/-	30000/-								
II nd Year	Rs. 5000/-	30000/-								
III rd Year	Rs. 5000/-	30000/-								
(b) Admission fee for each additional Faculty with not more than four subject thereof.	<table border="1"> <tr> <td>Ist Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> <tr> <td>IInd Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> <tr> <td>IIIrd Year</td> <td>Rs. 5000/-</td> <td>30000/-</td> </tr> </table>	I st Year	Rs. 5000/-	30000/-	II nd Year	Rs. 5000/-	30000/-	III rd Year	Rs. 5000/-	30000/-
I st Year	Rs. 5000/-	30000/-								
II nd Year	Rs. 5000/-	30000/-								
III rd Year	Rs. 5000/-	30000/-								
(c) Admission fee for each additional subjects	<table border="1"> <tr> <td>Ist Year</td> <td>Rs. 2000/-</td> <td>10000/-</td> </tr> <tr> <td>IInd Year</td> <td>Rs. 2000/-</td> <td>10000/-</td> </tr> <tr> <td>IIIrd Year</td> <td>Rs. 2000/-</td> <td>10000/-</td> </tr> </table>	I st Year	Rs. 2000/-	10000/-	II nd Year	Rs. 2000/-	10000/-	III rd Year	Rs. 2000/-	10000/-
I st Year	Rs. 2000/-	10000/-								
II nd Year	Rs. 2000/-	10000/-								
III rd Year	Rs. 2000/-	10000/-								

1. नवीन महाविद्यालय- 50,000/-प्रथम वर्ष (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष यथावत)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
2. प्रवेश शुल्क अतिरिक्त संकाय-50,000/- प्रथम वर्ष (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष यथावत)	
3. प्रवेश शुल्क अतिरिक्त विषय-10,000/- प्रथम वर्ष (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष यथावत)	
निर्णय : - उक्त क्रमांक 1, 2, 3 मान्य किया गया।	

FOR POST GRADUATE COURSES

(a) Admission fee per Faculty with not more than four subjects thereof	Previous Final	Rs. 3000/- Rs. 3000/-	15000/- 15000/-
(b) Admission fee per addl. subject	Previous Final	Rs. 3000/- Rs. 3000/-	15000/- 15000/-
(c) Application fee		Rs. 350/-	1000/-

1. प्रवेश शुल्क प्रत्येक संकाय-30000 प्रथम वर्ष, (अंतिम वर्ष यथावत)
2. प्रवेश शुल्क अतिरिक्त विषय- 30000 प्रथम वर्ष, (अंतिम वर्ष यथावत)
3. आवेदन शुल्क-3500/-

निर्णय : - क्र. 1,2,3 मान्य किया गया।

27 (3) (e)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
That the building in which the College is to be located has a sufficient number of class-rooms, the floor space and cubic space of class rooms is suitable and sufficient and that the buildings are otherwise properly located and where the buildings not owned by the/ Founder, it/he is prepared to make an annual contribution as required by the statutes till the College has its own building adequate for the purposes. Provided that such contribution shall not be required in case of a College maintained by Government;	That the building in which the College is to be located has a sufficient number of class-rooms, the floor space and cubic space of class rooms is suitable and sufficient and that the buildings are otherwise properly located and where the buildings not owned by the/ Founder, it/he is prepared to make an annual contribution as required by the statutes till the College has its own building adequate for the purposes. Provided that such contribution shall not be required in case of a Collage maintained by Government; Provided that the Building of the College should be owned by the founder within 5 yrs of admission of the institution to the privilege of the university. The building for 30 yrs lease shall be considered as building owned for this purpose.

निर्णय : - प्रस्ताव मान्य किया गया।

27(4) (3)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
The application shall be made to the Registrar on or before the 31 st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 800/- which shall not be refunded.	The application shall be made to the Registrar on or before the 31 st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 3500/- which shall not be refunded.

निर्णय : - रु. 8000/- मान्य किया गया।

27(4) (3) (i) (a)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
(a) Rs. 1,500/- per Faculty for the Bachelor's Degree in the Faculties of Education, Physical Education, Medicine, Engineering or Technology.	(a) Rs. 5,000/- per Faculty for the Bachelor's Degree in the Faculties of Education, Physical Education, Medicine, Engineering or Technology.
(b) Rs. 900/- per Faculty for the Bachelor's Degree in all the Faculties, other than those included in (a) above.	(b) Rs. 3000/- per Faculty for the Bachelor's Degree in all the Faculties, other than those included in (a) above.

139

278

Where the affiliation of such Collage or institution is also in respect of Master's Degree, fee in addition there to shall be payable at the rate mentioned below: Rs. 600/- per subject in any of the Faculties, covered by item (a) and (b) above,	Where the affiliation of such Collage or institution is also in respect of Master's Degree, fee in addition there to shall be payable at the rate mentioned below: Rs. 2000/- per subject in any of the Faculties, covered by item (a) and (b) above,
(a) स्नातक संकाय— 15,000 /— (b) स्नातकोत्तर संकाय— 9000 /— अतिरिक्त विषय— 6000 /—	
निर्णय: — उक्त क. (a) (b) मान्य किया गया।	

27(8) (3) (ii) (i)

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
(i) For Post-Graduate Diploma Course for Science Teacher in each Subject. As per Master Degree in each Subject, i.e.,	Rs. 600/- 3000/-
(ii) For Diploma in Teaching Course.	Rs. 500/- 2000/-
(iii) For Diploma and Certificate Course in each Language.	Rs. 500/- 2000/-
(iv) For other Diploma Course admission to which is after graduation.	Rs. 600/- 3000/-
(v) For B.E. (Part-Time Degree Course)	Rs. 1500/- 8000/-

औचित्य: वर्तमान प्रचलित दर लगभग एक दशक पुराना है। इस दौरान परीक्षा संचालन व्यय तथा अन्य सामग्रियों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो चुकी है। अतः उक्त शुल्क में संशोधन आवश्यक है।

(i) For Post-Graduate Diploma Course -	Rs.6000/-
(ii) For Diploma in Teaching Course. -	Rs.5000/-
(iii) For Diploma and Certificate Course -	Rs.5000/-
(iv) For other Diploma Course admission to which is after graduation. -	Rs.6000/-
(v) For B.E. (Part-Time Degree Course) -	Rs.15000/-

निर्णय — उक्त (i) to (v) मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र.-04 revised Ordinance -4, Minimum Qualification and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in University for appointment of Persons through Open Advertisement and promotion of working teachers through Career Advancement Scheme (CAS)

निर्णय : — प्रस्ताव मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्र.-05 छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 एवं अन्य धाराओं में।

वि.वि अधिनियम की धारा	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
49 (1)	* 49 (1) No person shall be appointed : (i) as a Professor, Reader, Lecture; or	* 49 (1) No person shall be appointed : (i) as a Professor, Associate Professor, Assistant Professor ; or
49 (2)	the members of the committee of selection shall be: (i) the Kulpati-Chairman, (ia) omitted *(ii) omitted (iii) one expert to be nominated by	the members of the committee of selection shall be: (i) the Kulpati/Vice Chancellor Chairman of the Selection Committee. (ii) Three expert in the Concerned subject nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant

Handwritten signature and date



New

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 4220/अका./2011

रायपुर, दिनांक: 19/07/2011

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 18वीं बैठक दिनांक 06.06.2011 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार विश्वविद्यालय परिनियम 27 Admission of Colleges to the Privileges of the University and Withdrawal Thereof (Refer Clause (1) of Section-35) में निम्नानुसार संशोधन सत्र 2011-12 से प्रभावशील किया जाता है।

वर्तमान प्रावधान	संशोधित शुल्क दर
2(1) Such applications shall be made in the form prescribed by the Executive Council of the University alongwith the fees mentioned below :	
FOR UNDER GRADUATE COURSES	
(a) Admission fee for opening a new College with one Faculty and not more than four subjects thereof	I st Year Rs. 50,000/- II nd Year Rs. 30,000/- III rd Year Rs. 30,000/-
(b) Admission fee for each additional Faculty with not more than four subjects thereof.	I st Year Rs. 50,000/- II nd Year Rs. 30,000/- III rd Year Rs. 30,000/-
(c) Admission fee for each additional subjects	I st Year Rs. 10000/- II nd Year Rs. 10000/- III rd Year Rs. 10000/-
FOR POST-GRADUATE COURSES	
(a) Admission fee per Faculty with not more than four subjects thereof	Previous Rs. 30,000/- Final Rs. 15,000/-
(b) Admission fee per addl. subject	Previous Rs. 30,000/- Final Rs. 15,000/-
(c) Application fee	Rs. 3,500/-

27(3) (e)

वर्तमान प्रावधान	संशोधन
That the building in which the College is to be located has a sufficient number of class-rooms, the floor space and cubic space of class rooms is suitable and sufficient and that the buildings are otherwise properly located and where the buildings not owned by the /Founder, it/he is prepared to make an annual contribution as required by the statutes till the College has its own building adequate for the purposes. Provided that such contribution shall not be required in case of a College maintained by Government;	That the building in which the College is to be located has a sufficient number of class-rooms, the floor space and cubic space of class rooms is suitable and sufficient and that the buildings are otherwise properly located and where the buildings not owned by the /Founder, it/he is prepared to make an annual contribution as required by the statutes till the College has its own building adequate for the purposes. Provided that such contribution shall not be required in case of a College maintained by Government; Provided that the Building of the College should be owned by the founder within 5 yrs of admission of the institution to the privilege of the university. The building for 30th yrs lease shall be considered as building owned for this purpose.

27(4) (3)

Existing Provision	amended
The application shall be made to the Registrar on or before the 31 st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 800/- which shall not be refunded.	The application shall be made to the Registrar on or before the 31 st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 8000/- which shall not be refunded.

27(8) (3) (i) (a)

वर्तमान प्रावधान	संशोधन
(a) Rs. 1,500/- per Faculty for the Bachelor's Degree in the Faculties of Education, Physical Education, Medicine, Engineering or Technology,	(a) Rs. 15000/- per Faculty for the Bachelor's Degree in the Faculties of Education, Physical Education, Medicine, Engineering or Technology,
(b) Rs. 900/- per Faculty for the Bachelor's Degree in all the Faculties, other than those included in (a) above. Where the affiliation of such College or institution is also in respect of Master's Degree, fee in addition there to shall be payable at the rate mentioned below :- Rs. 600/- per subject in any of the Faculties, covered by item (a) and (b) above,	(b) Rs. 9000/- per Faculty for the Bachelor's Degree in all the Faculties, other than those included in (a) above. Where the affiliation of such College or institution is also in respect of Master's Degree, fee in addition there to shall be payable at the rate mentioned below :- Rs. 6000/- per subject in any of the Faculties, covered by item (a) and (b) above,

27(e) (3) (ii) (i)

वर्तमान प्रावधान	संशोधित शुल्क दर
(i) For Post-Graduate Diploma Course for Science Teacher in each Subject. As per Master Degree in each Subject, i.e.	Rs. 6000/-
(ii) For Diploma in Teaching Course.	Rs. 5000/-
(iii) For Diploma and Certificate Course in each Language.	Rs. 5000/-
(iv) For other Diploma Course admission to which is after graduation.	Rs. 6000/-
(v) For B.E. (Part-Time Degree Course)	Rs. 15000/-

आदेशानुसार,



कुलसचिव

4221

क्रमांक: /अका./2011

रायपुर, दिनांक: 19 / 07 / 2011

प्रतिलिपि :

01. महामहिम कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर,
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर,
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. शासन, शासकीय विज्ञान महा. परिसर, रायपुर,
04. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
05. स.कु.स., परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त/अंकेक्षण/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद्/विकास, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
06. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)



Old

STATUTE No. 27

**Admission of Colleges to the Privileges of the University and Withdrawal Thereof
(REFER CLAUSE (1) OF SECTION -35)**

AFFILIATION OF COLLEGES.

1. An Application for admission of an educational institution (here-in-after referred to as "COLLEGES") to the Privileges of the University shall be made:-
 - (a) in the case of a College to be owned and maintained by Government or a new subject/faculty/post-graduate class to be added in such a College by an Officer authorised by Government in writing for the purpose;
 - (b) in the case of a College to be owned and maintained by an association (here-in-after referred to as the 'Foundation Society '), by the Secretary of the Foundation Society , authorised by a resolution to make the application;
 - (c) in the case of a College to be owned and maintained solely by a person (here-in-after referred to as the 'Founder'), by the Founder; and
 - (d) in case of a new subject/faculty/post-graduate class to be added in a existing Non- Government College by Chairman the Governing Body, to the Registrar of the University not later than the 28th February preceding the academic year from which affiliation is sought.

Provided that in case of a College owned and maintained by Government the last date shall be the 30th June preceding the academic year from which affiliation is sought.

Note: The last dates for applying to the Commissioner, Higher Education, Directorate have been announced separately by the Directorate

2. (1) Such applications shall be made in the form prescribed by the Executive Council of the University alongwith the fees mentioned below :

FOR UNDER GRADUATE COURSES

(a)	Admission fee for opening a new College with one Faculty and not more than four subjects thereof	I st Year	Rs. 5000/-
		II nd Year	Rs. 5000/-
		III rd Year	Rs. 5000/-
(b)	Admission fee for each additional Faculty with not more than four subjects thereof.	I st Year	Rs. 5000/-
		II nd Year	Rs. 5000/-
(c)	Admission fee for each additional subjects	I st Year	Rs. 2000/-
		II nd Year	Rs. 2000/-
		III rd Year	Rs. 2000/-

FOR POST-GRADUATE COURSES

(a)	Admission fee per Faculty with not more than four subjects thereof	Previous Final	Rs. 3000/- Rs. 3000/-
(b)	Admission fee per addl. subject	Previous Final	Rs. 3000/- Rs. 3000/-
(c)	Application fee		Rs. 350/-

2. The application for affiliation of a new Institution shall be accompanied by

- (a) a copy of the constitution of the Foundation Society .
- (b) certified copies of Trust deeds and title deeds of the property, if any.
- (c) A certificate from the Commissioner, Higher Education, Directorate showing that the Directorate has permitted the establishment of the Institution.
- (d) an undertaking that the Foundation Society shall, before the Institution is granted affiliation, deposit with the University Endowment fund as required by the College Code Statute.

Provided that (a), (b) and (d) above shall not be required in case of an Institution maintained or managed by the Government.

3. In case of an Institution not maintained or managed by Government, the application shall also be accompanied by an under taking that within three months of the admission of the Institution to the privileges of the University the Institution shall be put under the control of a Governing Body constituted in accordance with the provisions of the statutes and any change in the composition of the Governing Body or any transfer of management in respect of the Foundation Society or Founder or any change in the teaching staff shall be forthwith reported to the University.
4. The application for affiliation in a new subject/Faculty or post-graduate class shall be accompanied by a certificate from the Commissioner, Higher Education, Directorate showing that the Directorate has permitted the addition of new subject or opening of a new faculty or post-graduate class sought by the - Institution.
5. The fee shall not be refunded unless the application is withdrawn before an inspection has taken place.

3. The Author used officer on the Secretary of the Foundation Society , or the Founder or the Chairman of the Governing Body as the case may be, shall apply information in the application, with respect to the following matters namely:-

- (a) That having regard to the educational facilities available in then neighborhood there is a genuine need of a new College in that particular locality or for adding the new subject/faculty/post-graduate class ;
- (b) That the qualifications and adequacy of the teaching staff and the conditions Governing their employment shall be according to the provisions made by the University from time to time;

Provided that evary College except a College of Law shall have a full time salaried Principal, at least one full-time salaried lecturer in each subject and in case it teaches Commerce at least three such lecturers in case of the Faculty of Commerce;

- (c) That the financial resources of the College are such as to make due provision for the continued maintainence and efficient. Working;
- (d) That no student has been or shall be admitted to the College until the admission prayed for has been granted;
- (e) That the building in which the College is to be located has a sufficient number of class-rooms, the floor space and cubic space of class rooms is suitable and sufficient and that the buildings are otherwise properly located and where the buildings not owned by the /Founder, it/he is prepared to make an annual contribution as required by the statutes till the College has its own building adequate for the purposes. Provided that such contribution shall not be required in case of a College maintained by Government;
- (f) That adequate provision is mad/shall be made for its Library and reading room;
- (g) That suitable provision shall be made for the general supervision and Physical Welfare of the Students under a duly qualified Physical Instructor on the staff of the College;
- (h) That, if admission is sought in any branch of experimental science or a subject which requires Laboratory instructions;
- (i) arrangements have been or shall be made , for which the College has necessary funds at its disposal, for imparting instruction in that branch of science or subject in a properly occupied laboratory and, where necessary, a museum; and
- (ii) The gas and water supply the apparatus and the chemicals, and the design and general fittings of the laboratories, lecture rooms and museums shall conform to such requirements as may be prescribed from time to time.

- (i) that the College, if not maintained by the Government, has sufficient funds to deposit as Endowment Fund and the Foundation Society /Founder is prepared to pledge the same with the University in such manner as may be decided by the Executive Council as a condition precedent to the grant of admission and to authorize the University to utilize the amount at its discretion for payment of the caution money and the Salaries fall into arrears for a period of more than three months.
- (j) that the fees, if any, payable by the students shall be fixed in accordance with rates prescribed by the University.

Provided that all fees by whatever name called paid by the students shall be accounted for in the book of accounts of College and shall form part of the receipts of the College.

- (k) that the rules regarding payment of fees by students in the College shall not be framed with a view to attracting students away from an exacting institution in the same neighbourhood.
4. (1) Where a College has been given admission for a limited period and desires to apply for extension of admission for a further period or permanently, the authorized officer or the Chairman of the Governing Body constituted in accordance with the Statutes shall apply in the form prescribed for the purpose and so far as may be necessary supply :
 - (i) full factual information pertaining to the compliance of all the points, the assurances, and undertakings mentioned in paragraph 2&3,
 - (ii) full factual information about compliance of any conditions laid down by the Executive Council at the time of giving admission for limited period, and
 - (iii) such other information as the Executive Council may all for.
 2. A College shall not be eligible for permanent affiliation unless it has its own building adequate for its purposes, a suitable library and adequately equipped laboratory, if necessary for imparting instructions in any subject.
 3. The application shall be made to the Registrar on or before the 31st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 800/- which shall not be refunded.
 5. The application received under paragraph-1 or 4 of this Statute shall be submitted to the Registrar. He shall refer the application to the Standing Committee of the Academic Council for appointing a Committee of Inspection consisting of not more than 3 persons and for specifying the date on/or before which the report of the Committee shall be made. On receipt of the report of the Inspection Committee, the

Academic Council shall make appropriate recommendations to the Executive Council for the acceptance or rejection of the application.

Provided that where the Academic Council is not likely to meet early, the Standing-Committee of the Academic Council may make recommendations to the Executive Council and such recommendation shall be reported to the Academic Council at its meeting immediately following such recommendation by the Standing Committee.

6. (1) After considering the report of the Committee of Inspection and the recommendations of the Academic Council/Standing Committee and making such further enquiry as it deems fit the Executive Council may either:
 - (a) Communicate to the Commissioner, Higher Education, Directorate that it proposes to grant the application or any part thereof permanently or for a limited period and request the Directorate to accord its approval to the proposal, or
 - (b) reject the application, mentioning reasons therefor.
- (2) Where the Executive Council proposes to grant the application or any part there of it shall specify:-
 - (a) the course or courses of instruction in which and the standard upto which the College is to be admitted to the privileges of the University; and
 - (b) the conditions, if any, which the Executive Council consider it proper to impose and the time and manner of fulfilment of such conditions.
- (3) If the Commissioner, Higher Education, Directorate approves the proposal of the Executive Council, the Executive Council may grant the application or any part there of subject to the condition suggested by the Directorate
- (4) The orders passed under clause (b) of sub-para (1) or sub-para (3) above shall be communicated to the applicant by the Registrar.

WITHDRAWAL OF PRIVILEGES GRANTED TO A COLLEGE

7. (1) Whenever, as a result of a prejudicial report or otherwise the Executive Council considers it necessary to initiate action for the withdrawal of all or any of the privileges granted to a College, the Executive Council shall issue a notice to the Governing Body or the Government as the case may be, apprising the said body of the intention of the Executive Council and requiring the said body to show cause why action as intended should not be taken.

Provided that where a College is admitted to the privileges of the University for a definite period and the admission is not extended for a further period, it shall not amount to withdrawal privileges.

- (2) The notice under sub-para (1) shall state:
 - (a) The reasons for which the intended action is contemplated; and
 - (b) The period within which the reply to the show causes notice must reach the Registrar of the University.
- (3) The Executive Council, for a reasons considered sufficient by it, may extend the period for reply from time to time but the total period shall not exceed three months.
- (4) On receipt of the reply to the show cause notice within the period allowed to the College under sub-para (2) and (3), the Executive Council may consider the matter in the light of the reply and representation made, if any, by the College concerned, and if no such reply is received, it may consider the matter on the expiration of the said period, and may after consulting the Academic Council/Standing Committee of the Academic Council make such order as may appear to it proper including the withdrawal of all or any of the privileges granted to the College.
- (5) Where a resolution withdrawing wholly or partially the privileges granted to a College is passed by the Executive Council a copy of the same shall be sent to the Government/Chairman of the Governing Body of the College concerned, who may make an appeal to the Commissioner, Higher Education, Directorate against such resolution and the decision of the Directorate in such appeal shall be final.

CONDITIONS GOVERNING CONTINUANCE OF ADMISSION TO PRIVILEGES OF THE UNIVERSITY

8. (1) Every College admitted to the privileges of the University shall, during all the time it continues to enjoy such privileges comply with all the provisions of the Adhinyam, the Statute, the Ordinances, the Regulations, and any orders, directions given or resolutions passed by the Executive Council or Academic Council in so far as they apply to such College.
- (2) Without prejudice to the generality of the provision contained in sub-para (1) the College shall in particular comply with the following provisions, namely:-
 - (a) all conditions imposed at the time of granting admission shall be duly fulfilled with proper expedition :

- (b) it shall not suspend any course of instruction in respect of which it is admitted to the privileges of the University without giving six month period notice to the University ;
 - (c) the Governing Body required to be constituted under the Statutes shall be so constituted within three months from the date of admission and all matters assigned to it by the Statute shall be administered by it:
 - (d) any transference of management shall be reported to the University forthwith:
 - (e) the qualifications and adequacy of the teaching staff and the conditions governing their recruitment and term of employment shall be strictly according to the provisions of the Statutes;
 - (f) all changes in the teaching staff shall be reported to the University within one month of their taking place:
 - (g) no lecture shall be delivered to more than sixty students at a time unless the Academic Council considering the size, structure, seating arrangements and acoustic properties of each lecture room, and arrangements for tutorials permits a larger number of students not exceeding eighty;
 - (h) the maximum number of students in a batch for laboratory work under one teacher shall not exceed 25;
 - (i) every vacancy in the teaching staff of the College that remain; unfilled for a period of more than one month shall be reported to the University together with a statement of reasons therefor;
 - (j) it shall maintain records and registers in accordance with directions issued by the University from time to time;
 - (k) it shall submit such annual and periodical returns and other information, in such form and in such manner, as may be required to be submitted by any authority or officer of the University.
- (3) (i) Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31st July an annual affiliation fee at the rates mentioned below :-
- (a) Rs. 1,500/- per Faculty for the Bachelor's Degree in the Faculties of Education, Physical Education, Medicine, Engineering or Technology,
 - (b) Rs. 900/- per Faculty for the Bachelor's Degree in all the Faculties, other than those included in (a) above. Where the affiliation of such

College or institution is also in respect of Master's Degree, fee in addition there to shall be payable at the rate mentioned below :-

Rs. 600/- per subject in any of the Faculties, covered by item (a) and (b) above,

- (ii) If the fee payable under sub-para 3(i) is not paid by the date specified therein, the affiliation of the College or institution, may be withdrawn:

Provided that the Kulpati may permit the requisite fee to be paid together with and such manner, as may be required to be submitted by any authority or officer of the University.

Provided that annual affiliation fee shall be charged from the Colleges for the course other than Bachelor's Degree and Master's Degree Provided by the Colleges as given below :-

- | | | |
|-------|--|------------|
| (i) | For Post-Graduate Diploma Course for Science Teacher in each Subject. As per Master Degree in each Subject, i.e. | Rs. 600/- |
| (ii) | For Diploma in Teaching Course. | Rs. 500/- |
| (iii) | For Diploma and Certificate Course in each Language. | Rs. 500/- |
| (iv) | For other Diploma Course admission to which is after graduation. | Rs. 600/- |
| (v) | For B.E. (Part-Time Degree Course) | Rs. 1500/- |

- (ii) If the fee payable under sub-para 3(i) is not paid by the date specified therein, the affiliation of the College or institution, may be withdrawn :

Provided that the Kulpati may permit, the requisite fee to be paid together with an additional amount equal to 30% of the requisite fee within a period of three months from the date mentioned in sub-para (3) (i). In the case of such disaffiliation, the University may take such necessary steps as are feasible in the interest of the students.

Provided further for the academic session of 1975-76 the Kulpati may waive payment of additional amount.

9. If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed.
10. (1) The Principal and the teachers in a College admitted to the privileges of the University shall not be appointed on scales of pay lower than those sanctioned by the State Govt. for the Principals and Teachers of corresponding Status in Government Colleges.

- (2) A Part-Time Teacher in a College shall be paid monthly honorarium of Rs. 450/- if he delivers 12 Lectures per week and Rs. 300/- if he delivers at least eight lectures per week.
11. Accounts, registers, proceedings of meeting, and other records of a College shall be open at all times to inspection by the persons appointed for the purpose or authorized by the Executive Council or the Academic Council to conduct any inspection.
12. Every College shall provide adequate and suitable space for outdoor and indoor games and physical exercises.
13. (1) every College shall arrange for medical examination of all its students in the manner prescribed by the Executive Council and for the medical aid of students residing in the hostels of the College.
- (2) For the above purposes, the College shall be entitled to levy an annual fee from each student at the rate prescribed by the University.
14. Every College shall, when called upon by the Registrar to do so, make available its College Building, Laboratories, Furniture, Equipment and Staff for the conduct of University Examinations.
15. The Executive Council may, in consultation with the Academic Council require any College, either permanently or for a specified period, to participate in a system of centralized admission by the University or to restrict the number of a students in any class or subject, or require the teaching in a College to be confined only to some particular Branch. Any such direction or order of the Executive Council shall be given effect to from the beginning of the ensuing academic year after the direction or order is received.

प्रपत्र – दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक : अध्यादेश क्रमांक 180
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : **LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)**
4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि :

वि.वि. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
180	<p>In clause (2)</p> <p>LL.B. First Semester shall be commence from the month of July every year and the Semester examination shall be held in the month of January of the following year.</p> <p>Examination for all the semester shall be held twice a year namely January/February and July/August.</p>	<p>In clause (2)</p> <p>LL.B. First Semester shall commence from the month of July every year. The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.</p>	<p>अन्य संकायों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु यह संशोधन आवश्यक है।</p>

दिनांक :

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

श्री. कुलपति जी को पाल शरीर लंकित है

DR A
form a.
22/03/15
गणेश
पुस्तक
केंद्र
आगास

कापी में अनियमितता के आरोप लगाकर रिपोर्ट

23.4.2012 को ~~का~~ ^{शुद्ध} निलंबन किया गया।

विभागीय जांच संविदा निपुस्त गंगावानी द्वारा कराया गया।

3 गंगावानी का जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोप सिद्ध कराया गया।

3 जांच अधिकारी द्वारा चौदह गवाह में से सत्र साल गवाह का वयान लिया गया, साठ गवाह का वयान नहीं लिया गया।

4 जांच अधिकारी ने जो गवाह स्वयं स्वीकार किया गया है उसे अपने रिपोर्ट में नहीं लिया गया। ^{वसुदेव गवाही स्वीकार नहीं की गयी।}

5 जांच अधिकारी ने वर्ष 2009 का मुद्रित फार्म वि. प्रसन्न कराया गया जो वि. प्रसन्न प्रमाणी ने आजीवन किया गया जो जांच अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिया।

6 श्री सोनटेल ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रभार जानची प्रसाद शर्मा का नहीं है। स्वातंत्र्य विभाग में नहीं गया है।

6 सोनटेल/नराम ने वर्ष 2011 में 2,25,000 लाख फार्म मुद्रित किया है सोनटेल/नराम ने स्वीकार किया, जांच अधिकारी अपने रिपोर्ट में नहीं लिया।

7 नामांकन फार्म एवं परीक्षा फार्म वर्ष 2008 से 2011 तक का जांच कराई जाय।

8 दिनांक 12.2.15 को ~~का~~ ^{का} वरिष्ठ कर दिया गया।

9 दिनांक 2.3.15 को प्रथम श्री. कुलपति महापुरुष सम्मान किया है। ^{श्री. कुलपति}

मान-कुलपति जी को पास शपथ ली है।

कार्य में अनियमितता के आरोप लगाकर 13000

23.4.2012 को ~~वर्ष~~ ^{अप्रैल} निलंबन किया गया।

विभागीय जांच संविदा निपुस्त गंगवानी द्वारा कराया गया।

गंगवानी का जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोप सिद्ध कराया गया।

जांच अधिकारी द्वारा चौदह गवाह में से साल गवाह का वधान लिया गया, सात गवाह का वधान नहीं लिया गया।

जांच अधिकारी ने जो गवाह स्वयं स्वीकार किया गया है उसे अपने रिपोर्ट में नहीं लिया गया। ^{कुल गवाहों की संख्या 14 थी।}

जांच अधिकारी ने वर्ष 2009 का मुद्रित फार्म वि. प्रस. ^{नहीं लिया} बरखा गया जो वि. प्रस. प्रमाणी ने स्वीकार किया गया जो जांच अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिया।

श्री सोनरेक ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रभार जानची प्रसाद शर्मा को नहीं है। स्वाभाविक विभाग में नहीं गया है।

श्री सोनरेक / नराम ने वर्ष 2011 में 2,25, 00 लाख फार्म मुद्रित अपने रिपोर्ट में नहीं लिया।

गोभावन फार्म एवं पसीदना फार्म वर्ष 2008 से 2011 तक जांच कराई जाय।

दिनांक 12.2.15 को ~~वर्ष~~ ^{वर्ष} वरवारीत कर दिया गया।

दिनांक 2.3.15 को प्रथम अपील कुलपति महोदय के समक्ष किया है। ^{सुप्रीम}

DR A
Form
23/03/15
1
2